UPSR040160012021

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (शीतला प्रसाद) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**06036

क्रिमिनल मिस/1366/2021

विनोद यादव बनाम. रमाकान्त

दिनांक १६.११.२०२१

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुयी। विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

संक्षेप में आवेदक ने प्रा० पत्र के माध्यम से यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत सहायक कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री आपरेटर की मेरिट में आवेदक की मेरिट सबसे अधिक थी, किन्तु विपक्षीगण ने आपस में साज करके बिना बैठक के विपक्षी संख्या १ का चयन कर लिया गया। विपक्षी संख्या १ ने अनुचित लाभ लेने के लिये गलत तरीके से दूसरी मार्कशीट दाखिल किया जो LBS इण्टर कालेज मल्हीपुर सन् २०२० में उत्तीर्ण किया है, जिसका अनुक्रमांक १८९१८८० है। विपक्षी संख्या १ ने हाईस्कूल परीक्षा सन् २०१६ में श्री कृष्णा आदर्श इण्टर कालेज हरदत्तनगर गिरन्ट बाजार, जनपद श्रावस्ती से उत्तीर्ण किया है, जिसका अनुक्रमांक २४४३०२ है तथा इण्टरमीडियट की परीक्षा सन् २०१८ में उत्तीर्ण किया है। इस प्रकार पुनः इण्टरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण करके अनुचित लाभ लेना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। आवेदक ने घटना की सूचना थाना तथा पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः प्रा० पत्र के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करवाकर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

मैनें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या का सम्यक रूप से अवलोकन किया। थाने की आख्यानुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। इसी प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य प्रा० पत्र विपक्षी की ओर से आवेदक व अन्य के विरुद्ध न्यायालय पर योजित किया गया है। अतः प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह क्रास केस है। मामले में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है, जिसकी विवेचना किया जाना आवश्यक प्रतीत हो। अतः मामले के तथ्यों के प्रकाश में सर्वप्रथम प्रकरण की वास्तविकता की परख न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। **सुरेन्द्र कौशिक बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (२०१३) ५ एस०सी०एस० १४८ एवं उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश एवं अन्य एस०सी० १० सितंबर, २००४** में यह उपधारित किया गया है कि जब दोनों पक्षकार एक-दूसरे के विरुद्ध प्रा० पत्र योजित करते हैं तो उन स्थितियों में समान प्रकार का आदेश पारित किया जाना चाहिये। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितयों व उपरोक्त विधिव्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा–२०० दं०प्र०सं० परिवादी दिनांक १६.१२.२०२१ को पेश हो। परिवादी सूची गवाहान दाखिल करे।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।